FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत – अति. मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, आबूपर्वत
सरकार बनाम सुरेश लाल
किस्म मुकदमा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 156 / 21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
	दिनांक–13.08.2024 अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त सुरेश लाल का गिरफतारी वारंट अदम तामील बाद तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है एवं अदम तामील की सूरत मे तामील कुनिन्दा कॉनि. श्री मनोहरलाल पुलिस थाना आबूपर्वत बयान हेतु उपस्थित आये। अतः तामील कुनिन्दा के बयान क्रमशः सी.डब्ल्यू 01 लिये गये। बयान, गिरफतारी वारंट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तामील कुनिन्दा मनोहरलाल ने बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी की पालना में वह मुलजिम सुरेश लाल के निवास स्थान पर गया जहां मुल्जिम नही मिला जिस पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि सुरेश लाल काफी समय से यहां नही रहता है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। जिस उसने मुल्जिम की चल –अचल संपत्ति बाबत् कार्यालय विशन्या पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जो प्रदर्श सी–2 तथा तहसीलदार टप्पा कयामपुर तहसील सीतामाउ से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श सी 3 है रिपोर्ट अनुसार मुल्जिम के खाते में कोई चल–अचल संपत्ति नही है। इस प्रकार मुलजिम सुरेश लाल के निकट भविष्य मे मिलने की संभावना नही है तथा वह अपनी गिरफतारी से रूहपोश हों गया है। अतः अभियुक्त **सुरेश लाल** को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82–83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज क्रमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, आबूपर्वत जिला सिरोही।	

दिनांक– 30.11.2021

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्तगण **मनुभाई, तेजबहादुर एवं जगदीश** अनुपस्थित। अभियुक्तगण का गिरफतारी वारंट अदम तामील बाद तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है एवं अदम तामील की सूरत मे तामील कुनिन्दा कॉनि. श्री प्रकाश एवं कानि. श्री राजेन्द्र थाना आबूरोड सदर बयान हेतु उपस्थित आये। अतः तामील कुनिन्दा के बयान क्रमशः सी.डब्ल्यू 01 एवं 02 लिये गये। बयान, गिरफतारी वारंट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तामील कुनिन्दा प्रकाश ने बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी मै मुलजिम **मनुभाई** के निवास स्थान पर गया तथा जहा पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि मनुभाई काफी समय से यहा नही रहता है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। स्थानीय निवासी इब्राहिम ने भी बताया कि वह बाहर गया हुआ है जिसका कोई अता पता उसे मालूम नही। इस प्रकार मुलजिम मनुभाई के निकट भविष्य मे मिलने की संभावना नही है तथा वह अपनी गिरफतारी से रूहपोश हों गया है। तथा निकट भविष्य में मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

तामिल कुनिन्दा राजेन्द्र नु बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी मै मुलजिम **जगदीश एवं तेजबहादुर** के निवास स्थान पर गया तथा जहा पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि मनुभाई काफी समय से यहा नही रहता है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। स्थानीय निवासी इब्राहिम ने भी बताया कि वह बाहर गया हुआ है जिसका कोई अता पता उसे मालूम नही। इस प्रकार मुलजिम मनुभाई के निकट भविष्य मे मिलने की संभावना नही है तथा वह अपनी गिरफतारी से रूहपोश हों गया है। तथा निकट भविष्य में मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

अतः अभियुक्तगण **मनुभाई, तेजबहादुर एवं जगदीश** को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82–83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्तगण के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज क्रमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे एवं प्रकरण अभियुक्तगण की मफरूरी में फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफतर हो तथा पत्रावली पर नोट अंकित हो कि प्रकरण में अभियुक्तगण **मनुभाई, तेजबहादुर एवं जगदीश** मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग वीड नही किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार हो।

दिनांक— 30.10.2021

सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।

अभियुक्त **अल्ताफ उर्फ फारूक** अनुपस्थित। अभियुक्त का गिरफतारी वारंट अदम तामील बाद तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है एवं अदम तामील की सूरत मे तामील कुनिन्दा श्री राजेन्द्र कॉनि. 679 थाना आबूरोड सदर बयान हेतु उपस्थित आया। अतः तामील कुनिन्दा के बयान सी.डब्ल्यू 1 लिये गये। बयान, गिरफतारी वारंट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तामील कुनिन्दा ने बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी मै मुलजिम के निवास स्थान पर गया तथा जहा पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि अल्ताफ उर्फ फारूक काफी समय से यहा नही रहता है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। स्थानीय निवासीयों से तस्दीक करवाने का प्रयास किया तो स्थानीय लोग ओमप्रकाश सचिव से तस्दीक कराया गया। जिसमें बताया कि मुलजिम के नाम की कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है। मुलजिम रूपहोंश है। तथा निकट भविष्य में मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः अभियुक्त **अल्ताफ उर्फ फारूक** को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82—83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज क्रमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे एवं प्रकरण अभियुक्त की मफरूरी में फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफतर हो तथा पत्रावली पर नोट अंकित हो कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग वीड नही किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार हो।

दिनांक– 27.10.2021

सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।

अभियुक्तगण राजू खांचर, जगदीश, दिलीप एवं रमेश मफरूर है। अभियुक्त संजय व्यास का हाजरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ। जिस पर अभियुक्त को बार–बार आवाजे लगाई गई परन्तु अभियुक्त या उसकी ओर से कोई उपस्थित नही है। अतः अभियुक्त संजय व्यास के मुचलके जब्त सरकार किये जाते है तथा जमानत निरस्त की जाती है। धारा 446 की कार्यवाही पृथ्क से खोली जावे। अन्य अभियुक्तगण राजेश, जेठमल एवं हितेश अनुपस्थित। अभियुक्तगण राजेश एवं जेठमल के वारण्ट गिरफतारी अदम तामिल प्राप्त हुए है एवं अदम तामील की सूरत मे तामील कुनिन्दा श्री हकमाराम कॉनि. 36 थाना आबूरोड सदर बयान हेतु उपस्थित आया। अतः तामील कुनिन्दा के बयान सी.डब्ल्यू 1 लिये गये। बयान, गिरफतारी वारंट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तामील कुनिन्दा ने बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी मै मुलजिम

के निवास स्थान पर गया जहा पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि जेठमल काफी समय से यहा नही रहता है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। स्थानीय निवासीयों से तस्दीक करवाने का प्रयास किया तो स्थानीय लोग कैलाशचन्द वार्ड पंच एवं सरपंच शंकरलाल से तस्दीक कराया गया। जिसमें की पाया कि मुलजिम काफी वर्षों से वहां नहीं रहता है। मुलजिम का गुजरात स्थित पते पर भी गये जहां पर उक्त पते के मकान मालिक राजेश कुमार जैन से तस्दीक करायी तो उसने भी बताया कि मुलजिम बहुत पहले यहां निवास करता था अब यहां नहीं रहता है। इस प्रकार मुलजिम जेठमल के निकट भविष्य मे मिलने की संभावना नही है।

अन्य अभियुक्त राजेश के निवास स्थान पर गया जहा पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि राजेश उर्फ राजू काफी समय से यहा नही रहता है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। स्थानीय निवासीयों से तस्दीक करवाने का प्रयास किया तो स्थानीय लोग सरपंच किरण कुंवर एवं पडोसी भंवरलाल जैन से तस्दीक कराया गया। जिसमें पाया कि मुलजिम काफी वर्षों से वहां नहीं रहता है। मुलजिम का महाराष्ट् स्थित पते पर भी गये जहां पर उक्त पते के मकान पर मिले मुलजिम का छोटा भाई विनोद से तस्दीक करायी तो उसने भी बताया कि मुलजिम यहां नहीं रहता है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस एचसी से भी तस्दीक करायी गई तो उक्त बात ही सामने आयी । इस प्रकार मुलजिम राजेश उर्फ राजु के निकट भविष्य मे मिलने की संभावना नही है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण अपनी शकुनत से रूहपोश हो गये है। अतः इस स्तर पर अभियुक्तगण **जेठमल एवं राजेश उर्फ राजु** को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82—83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्तगण के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज क्रमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे।

शेष अभियुक्तगण हितेश एवं संजय व्यास के विरूद्ध वारण्ट गिरफतारी आज ही जारी होकर नोट अंकित हो कि अभियुक्तगण के वारण्ट गिरफतारी की तामिली थानाधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर विशेष वाहक से बाद तामिल आवश्यक रूप से पेश करे, अदम तामिल की सूरत में तामिल कुनिन्दा अभियुक्तगण की सम्पत्ति सूची के साथ बयान न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवे। मिसल वास्ते हाजरी अभियुक्तगण हितेश एवं संजय व्यास हेतु दिनांक 08.11.2021 को पेश हो।

दिनांक— 27.10.2021

सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।

अभियुक्त **खेमचंद उर्फ खेमाराम उर्फ रवि** अनुपस्थित। अभियुक्त का गिरफतारी वारंट अदम तामील बाद तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है एवं अदम तामील की सूरत मे तामील कुनिन्दा श्री सुरेश कुमार कॉनि. 770 थाना आबूरोड सदर बयान हेतु उपस्थित आया। अतः तामील कुनिन्दा के बयान सी.डब्ल्यू 1 लिये गये। बयान, गिरफतारी वारंट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तामील कुनिन्दा ने बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी मै मुलजिम के निवास स्थान पर गया तथा जहा पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि खेमचन्द उर्फ खेमाराम उर्फ रवि काफी समय से यहा नही रहता है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। स्थानीय निवासीयों से तस्दीक करवाने का प्रयास किया तो स्थानीय लोगों ने तस्दीक करने व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस कारण ग्राम पंचायत मोरथला के सचिव व सरंपच से तस्दीक करायी गई। तो पता चला कि मुलजिम एवं उसके परिवार वाले कोई भी गांव में नहीं रहते हैं। इस प्रकार मुलजिम खेमचन्द उर्फ खेमाराम उर्फ रवि के निकट भविष्य मे मिलने की संभावना नही है। अतः अभियुक्त **खेमचंद उर्फ खेमाराम उर्फ रवि** को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82—83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज क्रमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे एवं प्रकरण अभियुक्त की मफरूरी में फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफतर हो तथा पत्रावली पर नोट अंकित हो कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग वीड नही किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार हो।

दिनांक– 18.10.2021

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त **रूघाराम** अनुपस्थित। अभियुक्त का गिरफतारी वारंट अदम तामील बाद तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है एवं अदम तामील की सूरत मे तामील कुनिन्दा श्री नरेश कुमार कॉनि. 187 थाना आबूरोड सदर बयान हेतु उपस्थित आया। अतः तामील कुनिन्दा के बयान सी.डब्ल्यू 1 लिये गये। बयान, गिरफतारी वारंट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तामील कुनिन्दा ने बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी मै मुलजिम के निवास स्थान पर गया तथा मुल्जिम के बारे मे पता किया तथा उसके आसपडोस में पूछताछ की तो लोगो ने बताया कि मुल्जिम गांव में नही रहता तथा उसके बारे में हमे कुछ पता नही है। फिर मैने मुल्जिम की सम्पत्ति के बारे में पटवारी सांडीया से पूछा तो उन्होने उसकी सम्पत्ति के बारे में दस्तावेज मुझे दिये। मुल्जिम के बारे में अन्य लोगो से भी पूछा गया परन्तु उसके बारे में कोई जानकारी नही मिली। सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात मैने अपनी रिपोर्ट एसएचओ साहब को पेश की। मुल्जिम रूहपोश हो गया है। ऐसी परिस्थिति मे अभियुक्त की निकट भविष्य मे गिरफतारी संभव नही है। अतः अभियुक्त **रूघाराम** को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82–83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज कमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे एवं प्रकरण अभियुक्त की मफरूरी में फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफतर हो तथा पत्रावली पर नोट अंकित हो कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग वीड नही किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार हो।

दिनांक– 24.09.2021

सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।

अभियुक्त बालिया अनुपस्थित। अभियुक्त का गिरफतारी वारंट अदम तामील बाद तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है एवं अदम तामील की सूरत मे तामील कुनिन्दा श्री महेन्द्र सिंह कॉनि. 694, थाना आबूरोड शहर बयान हेतु उपस्थित आया। अतः तामील कुनिन्दा के बयान सी.डब्ल्यू 1 महेन्द्र सिंह लिये गये। बयान, गिरफतारी वारंट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तामील कुनिन्दा ने बयान दिया है कि वारंट गिरफतारी मै मुलजिम के निवास स्थान पर गया जहा पर लोगो से पुछताछ की तो लोगो ने बताया कि बालिया यहां नही रहता है, मजदूरी के लिये बाहर गया हुआ है। काफी प्रयास करने पर उसका पता नही चला। आस–पडौस में पता करने पर बताया कि बाहर जाना बताया है। पंचायत कुम्भारिया के सरपंच व पटवारी से सम्पर्क करने पर पटवारी ने फोन पर मुल्जिम का बाहर जाना बताया और पटवारी खुद भी बाहर होना बताया। जिस पर पंचायत भवन पहुंचा तो वहां पर पटवार सहायक व सरपंच मौजूद थे जिनसे बालिया के बारे में पूछा तो बताया कि मुल्जिम निवास तो यही करता है परन्तु अभी वह यहां पर नही है। चल–अचल सम्पत्ति के बारे में पूछा तो उन्होने रेकर्ड देखकर लिखित में प्रमाण पत्र देकर बताया कि इनकी चल–अचल सम्पत्ति यहां पर नही है एवं अवैध झोपे में रहते है, इनके नाम से कोई सरकारी भूमि नही है जिसका प्रमाण पत्र लेकर हाजिर आया हुं। इस प्रकार मुलजिम बालिया के निकट भविष्य मे मिलने की संभावना नही है तथा वह अपनी गिरफतारी से रूहपोश हों गया है। ऐसी परिस्थिति मे अभियुक्त की निकट भविष्य मे गिरफतारी संभव नही है। अतः अभियुक्त **बालिया** को मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जावे। अभियुक्त के स्थायी वारण्ट पर दस्तियाब होने पर वांछित प्रकरण में पेश किया जाये। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न कागजात

दिनांक 16.12.2019

एपीपी उपस्थित।

अभियुक्त रामाराम अनुपस्थित। अभियुक्त को जरिये गिरफतारी वारंट से तलब किया गया था जिस पर गिरफतारी वारण्ट अदम तामील पूर्व पेशी पर इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है कि अभियुक्त रामाराम पुत्र राजाजी, जाति गमेती भील, निवासी मुदरला पिछले 5–6 सालो से मुदरला नही आया है।

अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारण्ट पूर्व में भी अदम तामिल प्राप्त हुआ था। अतः न्यायालय को यह समाधान हो चुका है कि अभियुक्त रामाराम पुत्र राजाजी स्वयं को गिरफतारी से छिपा रहा है, अर्थात रूहपोश हो गया है। ऐसी परिस्थिति मे अभियुक्त की निकट भविष्य मे गिरफतारी संभव नही है। अतः अभियुक्त रामाराम को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82–83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज कमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे एवं प्रकरण अभियुक्त की मफरूरी में फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफतर हो तथा पत्रावली पर नोट अंकित हो कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग वीड नही किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार हो।

दिनांक 03.01.2020

एपीपी उपस्थित।

अभियुक्त भारमाराम अनुपस्थित। अभियुक्त को जरिये गिरफतारी वारंट से तलब किया गया था जिस पर गिरफतारी वारण्ट अदम तामील इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है कि अभियुक्त के निवास पते पर जाने पर वहां उसके पडौसी वीरमा पुत्र भेरा ने बताया कि भारमाराम पुत्र अम्बाराम गुजरात खेती करने गया है, कहां है पता नही। जिस पर कार्यालय पटवार मण्डल जाम्बुडी, तहसील आबूरोड सिरोही ने ग्राम मीन में भारमाराम पुत्र अम्बाराम, जाति ग्रासिया निवासी मीन के नाम से कोई अचल व चल सम्पत्ति नही होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारण्ट पूर्व में भी अदम तामिल प्राप्त हुआ था। अतः न्यायालय को यह समाधान हो चुका है कि अभियुक्त भारमाराम पुत्र अम्बाराम स्वयं को गिरफतारी से छिपा रहा है, अर्थात रूहपोश हो गया है। ऐसी परिस्थिति मे अभियुक्त की निकट भविष्य मे गिरफतारी संभव नही है। अतः अभियुक्त भारमाराम को मफरूर घोषित किया जाता है। धारा 446, 82—83 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग से खोली जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारण्ट गिरफतारी जारी होकर संबंधित थानाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि अभियुक्त के स्थाई वारण्ट गिरफतारी का इन्द्राज मफरूरी रजिस्टर में किया जाकर दर्ज क्रमांक अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे एवं प्रकरण अभियुक्त की मफरूरी में फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफतर हो तथा पत्रावली पर नोट अंकित हो कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग वीड नही किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार हो।

दिनांक : 07.06.2018

परिवादी अधिवक्ता श्री **महेन्द्र सिंह** उपस्थित।
बहस प्रसंज्ञान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

न्यायालय द्वारा अधिवक्ता परिवादी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा परिवाद के साथ सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साध्य के आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि चैक संख्या 208941 **रूपये 60000** /— दिनांक 12.09.2017 का अप्रार्थी द्वारा परिवादी को दिया। उक्त चैक को समयावधि के भीतर परिवादी द्वारा अपनी बैंक में सिकरने हेतु प्रस्तुत किया जो चैक अपर्याप्त कोष के रिमार्क के साथ अनादरित होकर दिनांक **12.09.2017** को परिवादी को जरिये रिटर्न मीमो लौटा दिया गया। तत्पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक **06.10.2017** को रजिस्टर्ड विधिक नोटिस अप्रार्थी को दिया जो नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया किन्तु अप्रार्थी के द्वारा परिवादी को चैक में वर्णित राशि का भुगतान नही किया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा यह परिवाद दिनांक **07.11.2017** को इस न्यायालय में पेश किया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है।

अतः अभियुक्त इमाम खान पुत्र धासी खान के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण परिवाद पर संस्थित फौजदारी मूल दर्ज रजिस्टर हो तथा धारा 204 द.प्र.सं की अनुपालना करने के पश्चात अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया जावे। साथ ही परिवादी उक्त सम्मन की तामील जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट के भी करवाने को भी स्वतंत्र है। यदि अभियुक्त रजिस्टर्ड पोस्ट से की गयी तामील के बावजूद न्यायालय मे उपस्थित नही होता है तो रजिस्ट्री की रसीद पेश करने पर उसके विरूद्ध धारा 27 क्लाजेज एक्ट के अतंर्गत यह उपधारणा ली जायेगी कि अभियुक्त को सम्मन की तामी हो चुकी है। प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण का विचारण सम्मन मामलों की तरह किया जायेगा।
पत्रावली वास्ते हाजरी मुलजिम हेतु दिनांक 18.09.2018 को पेश हो।

02.05.2018 एपीपी उपस्थित।

थानाधिकारी पुलिसथाना आबूरोड शहर की ओर से अभियुक्त संदीप के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की धारा 3/181, 39/192, 146/196, 185, 207 के आरोपों का परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद एवं कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त संदीप के विरूद्ध उक्त सभी आरोप प्रथमदृष्टया बनना पाए जाने से धारा 3/181, 39/192, 146/196, 185, 207 का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण फौजदारी मूल दर्ज रजिस्टर हो।

अभियुक्त ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सभी आरोप स्वीकार होने का कथन किया। अभियुक्त को एम.वी. एक्ट की धारा 3/181, 39/192, 146/196, 185, 207 के आरोपों का सारांश मौखिक सुनाने पर पुनः स्वैच्छा से आरोप स्वीकार किए। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए मैं सम्पूर्ण अन्वीक्षा अनिवार्य नहीं समझता। अभियुक्त को एम.वी. एक्ट के उक्त सभी आरोपों से दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

सजा के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से जूर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त गरीब तथा मजूरपेशा व्यक्ति है इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावें। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अभियुक्त की आयु एवं चरित्र को देखते हुए अभियुक्त को तुरंत कारावास की सजा से दंडित करने के बजाय अर्थदण्ड से दंडित करना उचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त को रूपये 3000/– के अर्थदण्ड की राशि से दंडित किया जाता है।

अतः अर्थदण्ड जुर्माना अदायगी व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त समस्त धाराओं में 2 दिवस साधारण कारावास की सजा भुगतेगा।

आदेशानुसार अभियुक्त ने जुर्माना राशि रूपये 3000/–जरिये रसीद संख्या 03 दिनांक 21.03.2018 जमा कराये। जब्तशुदा वाहन संख्या आर.जे. 38एस.बी.4107 की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उक्त वाहन

	तुरंत वाहन मालिक संदीप को बएवज रसीद लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफ्तर हो।	